भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 774

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

असम में पोषण अभियान

774 श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) असम में चालू वर्ष के दौरान पोषण अभियान 2.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में पोषण ट्रैकर ऐप पर कितनी महिलाओं और/अथवा बच्चों के आंकड़े अद्यतन किए गए हैं;

(ग) क्या महिला लाभार्थियों के लिए पोषण ऐप के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना के लाभों से उन लोगों को वंचित रखा गया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा उन्होंने इसे लिंक नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों से लाभ प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके कानूनी आधार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया है। मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना और कल्याण; तथा
- प्रमुख कार्यनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों पर है। यह योजना असम राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**कम वजन %**	**दुर्बलता %**	**ठिगनापन %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	53.4	17.5	52
एनएफएचएस-2 (1998-99)* *	47	15.5	45.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)* **	42.5	19.8	48.0
एनएफएचएस-4 (2015-16)* **	35.8	21.0	38.4
एनएफएचएस-5 (2019-21)* **	32.1	19.3	35.5

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की प्रतिनिधि तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) है। तथापि, अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर माप की गई। इनमें से भी 38.9% बच्चे ठिगने पाए गए, 17% बच्चे कम वजन वाले और 5.2% दुर्बल पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों का विकास मापदंडों पर मापन किया गया। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए हैं और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) कम वजन के पाए गए हैं।

असम राज्य में एनएफएचएस-5 (2019-21) रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कुपोषण संकेतक हैं: ठिगनापन 35.3%, दुर्बलता 21.7% और कम वजन 32.8%।

जबकि असम राज्य में अक्टूबर 2024 के माह के लिए पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कुपोषण संकेतक हैं: ठिगनापन 42.44%, दुर्बलता 3.77% और कम वजन 16.35%।

(ख) : बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में पोषण ट्रैकर ऐप पर उपलब्ध महिलाओं और बच्चों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग) से (च) : सेवाओं की प्रदायगी के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी प्रदायगी प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं, इसमें पारदर्शिता और दक्षता आई है तथा लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करके सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

मिशन पोषण 2.0 एक सार्वभौमिक स्व-चयनित (कोई प्रवेश बाधा नहीं) योजना है जो देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकित सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

मिशन के लाभों से उन लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है

या जिन्होंने आधार कार्ड लिंक नहीं किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना (सीजी-डीएल-ई-1104420323-245085 दिनांक 29 मार्च 2023) के अनुसार, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, को आधार के लिए नामांकन करना होगा या आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा उक्त अधिसूचना के प्रावधान 1(3) के अनुसार, जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को योजना के तहत लाभ दिया जाता है, बशर्ते कि वह संबंधित अधिसूचना में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करे। इस अधिसूचना के पैरा 4 और 5 में स्थिति बहुत स्पष्ट है।

इसके अलावा, बच्चे के मामले में, लाभ माता के आधार कार्ड का उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर माता के पास आधार कार्ड नहीं है, तो बच्चे के पिता या किसी कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

*****

अनुलग्नक-I

श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा दिनांक 29.11.2024 के लिए पूछे गए "असम में पोषण अभियान" के संबंध में लोक सभा प्रश्न संख्या 774 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में पोषण ट्रैकर ऐप पर उपलब्ध महिलाओं और बच्चों की संख्या इस प्रकार है:*

लाभार्थी	**बक्सा**	**चिरांग**	**कोकराझार**	**उदलगुड़ी**
गर्भवती महिलाएं	2235	2014	3909	3076
स्तनपान कराने वाली माताएं	1259	1050	2124	1823
बच्चे (0-6 माह)	1414	1308	2556	2006
बच्चे (6 माह-3 वर्ष)	16809	15644	30334	23742
बच्चे (3-6 वर्ष)	25130	22572	45160	35413
किशोरियां	10492	6303	8782	15219

* आंकड़े माह अक्टूबर 2024 हेतु पोषण ट्रैकर से लिए गए हैं।

*****